[2025] 1 एस.सी.आर. 490 : 2025 आई.एन.एस.सी 72

धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य

बनाम

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या - 299/2025)

15 जनवरी 2025

[बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) की पदोन्नति के संबंध में मुद्दा उठा।

हेडनोट्स †

न्यायपालिका - उच्चतर न्यायपालिका - झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा - प्रोन्नति/नियुक्ति - झारखंड उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु अधिसूचना - योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर प्रोन्नति के लिए कोटा 65% है - सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के संवर्ग में प्रोन्नत अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया, हालांकि उनका चयन नहीं हुआ - उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अपीलकर्ताओं ने कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए, हालांकि, उनसे कनिष्ठ व्यक्ति, जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए थे, को मेरिट सूची तैयार करके प्रोन्नति दी गई - अपीलकर्ताओं द्वारा रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं ने अंतिम चयनित उम्मीदवार से कम अंक प्राप्त किए थे - यथार्थता

निर्णय: प्रत्येक उम्मीदवार की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और पदोन्नति केवल योग्यता सूची पर आधारित नहीं हो सकती है - अपीलकर्ताओं ने उपयुक्तता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, वे केवल योग्यता सूची में निचले स्थान के कारण पदोन्नति के अपने वैध अधिकार से वंचित नहीं हो सकते थे - अपीलकर्ताओं को बाद में पदोन्नत किया गया है - अपीलकर्ता उसी तिथि से काल्पनिक पदोन्नति के हकदार हैं जिस दिन उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई चयन सूची के अन्य अधिकारियों को अधिसूचना के संदर्भ में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया

* लेखक

धर्मेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय एवं अन्य

गया है - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द - झारखंड उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2001 - आर.आर4, 5. [पैरा 4-6]

उद्धृत केस लॉ

रविकुमार धनसुखलाल महेता और अन्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय और अन्य [2024] 5 एससीआर 1074: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 972 - पर निर्भर किया गया।

अधिनियमों की सूची

झारखंड उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियम, 2001।

कीवर्ड की सूची

पदोन्नति; सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन); झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा; सुपीरियर न्यायपालिका; नियुक्ति के लिए अधिसूचना; योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोटा; उपयुक्तता परीक्षण; सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) का कैडर; चयन प्रक्रिया; अंतिम चयनित उम्मीदवार; तुलनात्मक मूल्यांकन; पदोन्नति का वैध अधिकार; योग्यता सूची में निचला स्थान; काल्पनिक पदोन्नति; जिला न्यायाधीश का पद; योग्यता सूची; चयन सूची; सीमित प्रतियोगी परीक्षा; पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता; वरिष्ठता।

मामला उत्पन्न

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 299/2025, झारखंड उच्च न्यायालय रांची के डब्ल्यूपीएस संख्या 3771/2019 के दिनांक 29.06.2022 के निर्णय और आदेश से।

पार्टियों में उपस्थिति

विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अखिलेश कुमार पांडे, श्रीमती शालिनी चंद्रा, अभिषेक कुमार पांडे, सुश्री काव्या झावर, सुश्री नंदिनी राय, श्रीमती नंदिता मिश्रा अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऐश्वर्या सिन्हा, सौरभ जैन, सुश्री तूलिका मुखर्जी, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा, जे.

1. वर्तमान अपील झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 3771/2019 में पारित दिनांक 29.06.2022 के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.05.2019 की अधिसूचना को रद्द करने के लिए राहत पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत निजी प्रतिवादियों को झारखंड राज्य में पदोन्नति पर झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 को शुरू में मुंसिफ [सिविल जज (जूनियर डिवीजन)] के रूप में नियुक्त किया गया था और 23.07.2014 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर में पदोन्नत किया गया था और अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 जिन्हें शुरू में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें 20.04.2016 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर में पदोन्नत किया गया था। झारखंड राज्य में न्यायिक अधिकारियों की संयुक्त उन्नयन सूची में, अपीलकर्ता संख्या 1, 2 और 3 के नाम क्रमशः क्रमांक 141, 195 और 204 पर हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए 19.05.2018 को एक अधिसूचना जारी की और अपीलकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया। झारखंड उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्त) नियम, 2001 के रूप में ज्ञात क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम, सेवा में नियुक्ति की प्रक्रिया और उक्त नियमों के नियम 4 और 5, निम्नानुसार हैं:

> "**4.** सेवा में नियुक्ति: सेवा में नियुक्ति, जो प्रथम दृष्टया सामान्यतः अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर होगी, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी:
>
> (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खंड (2) के अधीन ऐसी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा;
>
> (ख) उप-न्यायाधीशों (सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन) में से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर;

(ग) क्लब जजों (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने उसी कैडर में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो।

5. सेवा संवर्ग में कुल पदों में से:-
(i) 65% पद उप न्यायाधीशों (सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन) में से योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भरे जाएंगे।
(ii) 10% पद उप न्यायाधीशों (सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन) की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति (चयन के माध्यम से) द्वारा भरे जाएंगे, जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम नहीं होगी और उनके पूर्व सेवा रिकार्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा।

बशर्ते, यदि 10% कोटे के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, या परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकें, तो रिक्त पद नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(iii) 25% पद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर बार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।
(iv) उपर्युक्त खंड (i) में दिए गए उपयुक्तता परीक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) 20 अंकों का साक्षात्कार,
(ख) 60 अंक अधिकारी द्वारा पिछले 10 (दस) वर्षों की सेवा के दौरान उसकी ए.सी.आर. में अर्जित टिप्पणियों के आधार पर सेवा प्रोफ़ाइल के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में सेवा शामिल हो सकती है।

इस अनुभाग के लिए अंकन पैटर्न निम्नानुसार होगा:-

उत्कृष्ट - 6 अंक।
बहुत अच्छा - 5 अंक।
अच्छा - 4 अंक।
संतोषजनक - 3 अंक।
औसत - 2 अंक।
खराब - 1 अंक

(ग) निर्णय का मूल्यांकन - 10 अंक।
(घ) अधिकारी द्वारा सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) के रूप में सेवा पूरी करने के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक के आधार पर अधिकतम 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे।

कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे उपयुक्त उम्मीदवारों/अधिकारियों की उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग में गहन वरिष्ठता इन नियमों के नियम 8(ख) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

3. उपर्युक्त नियम सीमित प्रतियोगी परीक्षा, सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी) से पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति का प्रावधान करते हैं। सीधी भर्ती के लिए कोटा 25% है, योग्यता-सह-वरिष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर पदोन्नति के लिए कोटा 65% है और शेष सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना है। यह निर्विवाद तथ्य है कि पदोन्नति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ अंक 40 अंक निर्धारित किए गए थे और निस्संदेह अपीलकर्ताओं ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तथापि, उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को एक मेरिट सूची तैयार करके और अपीलकर्ताओं से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को पदोन्नत करके पदोन्नत किया गया। अपीलकर्ताओं की रिट याचिका उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दी कि अपीलकर्ता संख्या 1 को 50 अंक, अपीलकर्ता संख्या 2 को 50 अंक, अपीलकर्ता संख्या 3 को 43 अंक और अंतिम चयनित उम्मीदवार को 51 अंक मिले।

4. सर्वप्रथम, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान **रविकुमार धनसुखलाल महेता एवं अन्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय एवं अन्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 972 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया है। उनका तर्क है कि समान परिस्थितियों में, समान मानदंडों के आधार पर, इस न्यायालय ने यह माना है कि प्रत्येक उम्मीदवार की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और पदोन्नति केवल योग्यता सूची के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का पैरा 141 इस प्रकार है:

"**141.** हम अपना अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं -
(क) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी की उपयुक्तता का

परीक्षण उसकी अपनी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय 65% पदोन्नति कोटे के लिए तुलनात्मक योग्यता की बात नहीं करता। दूसरे शब्दों में, इसमें अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण और न्याय-विधि के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करने का प्रावधान है।

(ख) 65% पदोन्नति कोटे के लिए इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) (सुप्रा) में यह नहीं कहा था कि उपयुक्तता परीक्षा देने के बाद, एक योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए और न्यायिक अधिकारियों को केवल तभी पदोन्नत किया जाना चाहिए जब वे उक्त योग्यता सूची में आते हों। इसे प्रतियोगी परीक्षा नहीं कहा जा सकता। केवल न्यायिक अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित की जाती है और एक बार यह पाया जाता है कि उम्मीदवारों ने उपयुक्तता परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो उसके बाद उन्हें पदोन्नति के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता।

(ग) हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि 65% पदोन्नति कोटे के लिए, किसी न्यायिक अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए किसी विशेष उच्च न्यायालय को अपना न्यूनतम मानक निर्धारित करना होगा, जिसमें तुलनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता भी शामिल है, यदि आवश्यक हो, तो पदोन्नति या उस संबंध में किसी भी पदोन्नति नीति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से योग्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से।

(घ) हमें गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई पदोन्नति प्रक्रिया में कोई दोष नहीं दिखता है क्योंकि यह अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) (सुप्रा) के पैराग्राफ 27 में निर्धारित दो आवश्यकताओं को पूरा करती है: -

(I) न्यायिक अधिकारी के कानूनी ज्ञान का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, जिसमें न्याय-विधि का पर्याप्त ज्ञान भी शामिल है

और;

(II) व्यक्तिगत उम्मीदवारों की निरंतर दक्षता का मूल्यांकन।

(ई) दिनांक 12.04.2022 की भर्ती सूचना के तहत निर्धारित उपयुक्तता परीक्षण के चार घटक व्यापक रूप से (i) वस्तुनिष्ठ MCQ-आधारित लिखित परीक्षा के माध्यम से केस लॉ के ज्ञान सहित कानूनी ज्ञान **और (ii)** संबंधित न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, औसत निपटान

और पिछले निर्णयों के मूल्यांकन द्वारा निरंतर दक्षता का मूल्यांकन करते हैं।

(च) हमारा मानना है कि यदि याचिकाकर्ताओं की दलील मान ली जाए तो इससे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संवर्ग में 'योग्यता-सह-वरिष्ठता' के आधार पर 65% पदोन्नति और केवल योग्यता के आधार पर 10% पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति की दो श्रेणियों के बीच का सूक्ष्म अंतर पूरी तरह से मिट जाएगा। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के लिए 65% कोटा, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए 10% कोटे का स्वरूप ग्रहण कर लेगा, जो अपनी प्रकृति में अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है।

(छ) गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2011 से विधिवत अपनाई गई पदोन्नति प्रक्रिया से विचलित होने से उन न्यायिक अधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा, जो उपयुक्तता परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद उच्च न्यायिक सेवा में पिछले चयनों में पिछड़ गए थे, क्योंकि अपेक्षाकृत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने से प्रक्रिया पूरी तरह से पलट जाएगी और प्रतिवादियों को एक बार फिर विपरीत कारणों से पद से हटा दिया जाएगा।

5. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में, चूँकि अपीलकर्ताओं ने उपयुक्तता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए उन्हें केवल योग्यता सूची में निचले स्थान पर होने के कारण पदोन्नति के उनके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। इस समय, यह इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि अपीलकर्ताओं को बाद में पदोन्नत किया गया है और अब मुद्दा केवल उनकी वरिष्ठता के संबंध में है। रविकुमार धनसुखलाल महेता एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर, अपीलकर्ता निश्चित रूप से उसी तिथि से पदोन्नति के हकदार हैं जिस तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई चयन सूची के अन्य अधिकारियों को दिनांक 30.05.2019 की अधिसूचना के अनुसार जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है।

6. परिणामस्वरूप, सिविल अपील स्वीकार की जाती है और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाते हैं। अपीलकर्ता, अन्य अधिकारियों की दिनांक 30.05.2019 की अधिसूचना के अनुसार जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की तिथि से काल्पनिक पदोन्नति के पात्र होंगे। वे वरिष्ठता, वेतन

वृद्धि, काल्पनिक वेतन निर्धारण आदि सहित सभी परिणामी सेवा लाभों के भी पात्र होंगे, हालाँकि, वे किसी भी बकाया वेतन के पात्र नहीं होंगे।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।